राष्ट्रीय स्तर के संरक्षित स्मारक के मायने क्या ?

पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित स्मारकों को राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक घोषित कर दिया जाता हैं जबकि राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित करने से पूर्व इस बात पर गम्भीर चिन्तन होना चाहिए कि हकीकत में वे उस स्तर के मापदण्ड पर खरे भी उतरते हैं या नहीं?

प्राचीन स्मारक पुरातत्व की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर से महत्त्वपूर्ण हो।

अनेकों ऐसे स्मारकों को जो राष्ट्रीय तो क्या स्थानीय अर्थात् शहर, कस्बा, गांव व पंचायत स्तर पर भी महत्त्वपूर्ण नहीं उसे राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया जाना सर्वथा अनुचित है। स्मारक के इतिहास की जानकारी न तो स्थानीय स्तर पर न पुरातत्व विभाग के स्तर पर किसी को पता है न ही कोई प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता उसको बता सकता है। ऐसे स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित करना हास्यास्पद है।

उदाहरण के लिए नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन भाग-1 के 'डी' ब्लॉक स्थित तीन स्मारक बड़े खाँ, छोटे खाँ व भूरे खाँ के हैं। यह स्मारक कब्रगाहों पर बनी इमारतें हैं। उसमें किस-किस की कब्र है किसी को जानकारी नहीं। ये तीनों खाँ बन्धु कभी अस्तित्व में थे या यूँही बड़े मकबरे को बड़े खाँ, छोटे मकबरे को छोटे खाँ व भूरे रंग के मकबरे को भूरे खाँ कहा जाने लगा, कोई भी बताने की स्थिति में नहीं।

उपरोक्त स्मारकों को सन् 1918 से 1926 के बीच अंग्रेजी सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया जो उनकी एक बड़ी भूल थी व उस भूल को देश की आजादी के 65 वर्ष बाद भी हम ढो तो रहे ही हैं साथ ही साथ आजाद भारत की सरकार ने उसे राष्ट्रीय महत्त्व का भी घोषित कर दिया। यह एक बड़ी व भयंकर भूल थी। उपरोक्त स्मारक मात्र पुरातत्व की दृष्टि से तो संभवतया थोड़े-बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन कलात्मक व ऐतिहासिकता की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं अर्थात् इन स्मारकों के लिए यह भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक तो क्या स्थानीय स्तर पर भी उसका कोई महत्त्व नहीं। इस स्तर के स्मारक हेतु इतने भारी भरकम शब्दों का उपयोग कि 'राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक है' कहा जाना उन शब्दों के महत्ता को घटाना है एवं देश की जनता व पर्यटकों को गुमराह व भ्रमित करना ही है। सभी पुरातत्व महत्त्व के स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक कहना भूल है।

मेरे निम्न सुझाव है : –

1. इस प्रकार के जितने भी स्मारक हैं उन्हें तुरन्त प्रभाव से राष्टीय महत्त्व की श्रेणी से हटाकर पुरातत्व महत्त्व के स्मारक की श्रेणी में रखा जाना चहिए। ऐसे स्मारकों के लिए न तो कोई Prohibited Area हो व न ही Restricted Area हो।

2. सरकार या पुरातत्व विभाग किसी स्मारक विशेष के लिए Prohibited Area घोषित करता है तो उसके लिए यह आवश्यक किया जाए कि घोषित क्षेत्र को सरकार तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहित करे व उसका बाजार मूल्य उन क्षेत्रवासियों को तुरन्त ही प्रदान करे।

3. Restricted क्षेत्र में भी उन क्षेत्रवासियों को साधारण कानून के अन्तर्गत भवन निर्माण की छूट हो व कम से कम समय में व समयबद्ध उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाए।

सरकार का या सरकारी विभाग का सर्वोपरि उद्देश्य आम जनता को सुविधा देना होना चाहिए न कि अड़चने व परेशानियाँ पैदा करना।

– ललित कुमार नाहटा